रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092023-248788
CG-DL-E-15092023-248788

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 2023/भाद्र 24, 1945
No. 641] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 2023/BHADRA 24, 1945

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2023

फा. सं. एलएम/पीएम/0024/2020/उदय/पीओएल.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता) विनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम तैयार करती है, यथा:-

1. (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता,) द्वितीय संशोधन, विनियम, 2023 कहा जाएगा ।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2.राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता) विनियम 2019, के विनियम 4, में उप-विनियम (10) के एवज में निम्नलिखित उप-विनियम लागू होगा, यथा :-

"(10) प्रभार 31 मार्च, 2022 तक वैध होंगे और उसके बाद प्रति वर्ष प्रभारों में आठ प्रतिशत की वृद्धि होगी । जैसा कि निम्नवत दर्शाया गया है ।

उदाहरण

(क) यदि आवेदन 1 अप्रैल, 2022 से पूर्व किया गया हो, तो सरकारी भूमि पर 'जी' श्रेणी में आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों में आवेदक को 100 वर्ग मीटर के लिए 5775 रुपए का प्रभार जमा करना होगा ।

(ख) यदि आवेदन 31 मार्च, 2022 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 2023 से पहले किया गया हो, तो सरकारी भूमि पर 'जी' श्रेणी में आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों में आवेदक को 100 वर्ग मीटर के लिए 5775 रुपए के साथ आठ प्रतिशत बढ़ा हुआ प्रभार अर्थात् 5775 रुपए के साथ 462 रुपए जोड़कर 6237 रुपए का कुल प्रभार जमा करना होगा।

(ग) यदि आवेदन 31 मार्च, 2023 के बाद किंतु 01 अप्रैल, 2024 से पहले किया गया हो, तो उस समय आवेदक को सरकारी भूमि पर 'जी' श्रेणी में आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों में 100 वर्ग मी. के लिए 5775 रुपए के बढ़े हुए शुल्क प्लस उस पर सोलह प्रतिशत अर्थात् 5775 रुपए प्लस 924 रुपए अर्थात् कुल 6699 रुपए जमा करने होंगे।

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./424/2023-24]

नोटः मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में जी.एस.आर 814(ई), दिनांक 29 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिन्हें बाद में एफ सं.एलएम/पीएम/0001/2020/यूडीएवाई/एमओएम दिनांक 27 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित कर के भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 27 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था और जिसे एफ.सं. एलएम/पीएम/0003/2021/यूडीएवाई/एलजीएल/157 दिनांक 15 मई, 2023 द्वारा और संशोधन कर के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 15 मई,2023 को प्रकाशित किया गया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2023

F. No. LM/PM/0024/2020/UDAY/POL.—In exercise of the powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Regulations, 2019, namely:-

1. (1) These regulations may be called the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies), Second Amendment, Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Regulations, 2019, in regulation 4, for sub-regulation (10), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(10) The charges shall be valid till the 31st day of March, 2022 and thereafter, charges shall be enhanced every year by eight percent. As illustrated hereunder.

Illustrations

(a) If the application has been filed before the 1st day of April, 2022, then for 100 square metres in unauthorised colonies falling in 'G' category on Government land, applicant has to deposit charges amounting to Rs 5775.

(b) If the application has been filed after the 31st day of March, 2022 but before the 1st day of April, 2023, then for 100 square metres in unauthorised colonies falling in 'G' category on Government land, applicant has to deposit enhanced charges amounting to Rs. 5775 plus eight per cent. thereon i.e. Rs. 5775 plus Rs. 462 totalling Rs. 6237.

(c) If the application has been filed after the 31st day of March, 2023 but before the 1st day of April, 2024, then for 100 square metres in unauthorised colonies falling in 'G' category on Government land, applicant has to deposit enhanced charges amounting to Rs. 5775 plus sixteen per cent. thereon i.e. Rs. 5775 plus Rs. 924 totalling Rs. 6699".

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./424/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 814 (E), dated the 29th October, 2019 and subsequently amended vide F. No. LM/PM/0001/2020/UDAY/MOM, dated the 27th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 27th July, 2022 and further amended vide F. No. LM/PM/0003/2021/UDAY/LGL/157, dated 15th May, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 15th May, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.